संख्या-6/2017/178/35-3-2017-1(28)/2016

प्रेषक,

जय प्रकाश भारती,
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक 09 मार्च, 2017**

विषय: वर्ष 2016-17 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत मे ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-पीलीभीत मे शासनादेश संख्या-71/2016/1857/35-3-2016-1(28)/2016 दिनांक: 31 अगस्त, 2016 के द्वारा निम्नलिखित सड़क निर्माण कार्यो की उनके नाम के सम्मुख अकिंत लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये, प्रथम किश्त के रूप मे धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतद्द्वारा उक्त कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 75.87 लाख (रू. पचहत्तर लाख सत्तासी हजार मात्र) की निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू. मे)

क्र.सं.	परियोजनाका नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	राघवपुरी गुरूद्वारा से राधास्वामी सत्संग भवन तक मार्ग का नव निर्माण ।	87.78	52.67	35.11
2	सैलहा कालोनी से धुरिया पलिया शून्य से लेपन कार्य।	101.91	61.15	40.76
	योग	**189.69**	**113.82**	**75.87**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 31 अगस्त, 2016 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करानें से पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से उक्त कार्यो हेतु प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

4- इस शासनादेश से उक्त कार्यो के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का आवण्टन हो जाता है। उक्त कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत मे पूर्ण किया जायेगा और लागत वृध्दि अनुमन्य नही होगी।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016 -17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सड़क निर्माण कार्य-03-सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2016/बी-1-746 / दस-2016-231/2016 दिनांक: 22 मार्च,2016 मे प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्र्तगत के जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(**जय प्रकाश भारती**)
अनुसचिव ।

<u>संख्या-6/2017/178(1)/35-3-2017-1(28)/2016 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त् विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव लोक निर्माण/ गन्ना विकास विभाग , उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, पीलीभीत ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**जय प्रकाश भारती**)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in